

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

क्रमांक: फ 11(277)/सू.प्रौ./प्रोजेक्ट/14/1/22550/2014

जयपुर, दिनांक: 26/8/14

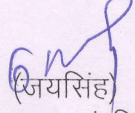
आदेश

भामाशाह परियोजना के अन्तर्गत "Bhamashah Enrolment Entry Software and operational issues" के संबंध में नामांकन एजेंसियों के समस्त प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जिले के नाम के सम्मुख अंकित तिथि एवं समयानुसार किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम संबंधित जिलों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगी:-

अधिकारियों के नाम	जिला	दिनांक	समय
श्री सीतारामस्वरूप, परियोजना अधिकारी (यू.आई.डी.)	डूंगरपुर	28 अगस्त 2014	प्रातः 10:00 बजे
श्री लक्ष्मीकांत पाराशर, सहायक प्रोग्रामर	बांसवाडा		सांय 03:00 बजे
श्री अपरेश दुबे, एसीपी (उपनिदेशक)	उदयपुर	28 अगस्त 2014	प्रातः 10:00 बजे
श्री पराग कच्छावा, एसीपी (उपनिदेशक)	राजसमंद		सांय 03:00 बजे
श्री उमेश चन्द जोशी, एसीपी (उपनिदेशक)	चित्तौड़गढ़	28-29 अगस्त 2014	प्रातः 10:00 बजे
श्री जयसिंह नाथावत, प्रोग्रामर			

1. जिला स्तरीय अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संबंधी समस्त व्यवस्थायों के लिए आवश्यक समन्वय करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
2. टीम निर्धारित समय पर संबंधित जिला मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी।
3. प्रशिक्षण प्रदाता टीम को प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सामग्री प्रदान करवा दी जावेगी।
4. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या एवं सहायता हेतु निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किये जा सकते हैं:-

श्री अनिल सिंह, महा प्रबन्धक, राजकॉम्प	9413387300
श्री अमित शर्मा उप प्रबन्धक, राजकॉम्प	9413343504
भामाशाह कंट्रोल रूम	0141-5166223


(जयसिंह)
कार्यालयाध्यक्ष एवं विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
2. संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान से निवेदन है कि उक्त प्रशिक्षण के आयोजन हेतु उचित दिशानिर्देश जारी करने का श्रम करें।
3. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो लिमिटेड जयपुर।
4. संबंधित जिला स्तरीय एसीपी (उपनिदेशक) / प्रोग्रामर, राजस्थान।
5. कार्यालयाध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), सू.प्रौ. विभाग।
6. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
7. रक्षित पत्रावली


एसीपी (उपनिदेशक)